



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163] नई दिल्ली, मंगलबार, जुलाई 17, 2012/आषाढ़ 26, 1934

No. 163] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 17, 2012/ASADHA 26, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2012

फा. सं. एक्स. 11029/6/2010-डीडीएपी.—यतः 2010 की सिविल रिट याचिका सं. 1332-व्यक्ति विकास केन्द्र बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के दिनांक 25-11-2011 के आदेशों के अनुसार, सामान्यतः कार्यालयों में प्रयुक्त किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ करेक्षण फ्लूड एवं थिनर के बच्चों/आवारा बच्चों द्वारा नशीली दवाओं की तरह उत्तेजक असर प्राप्त करने के लिए सांस में अंदर लेकर नशीले पदार्थ/दवा के रूप में व्यापक रूप से दुरुपयोग किए जाने की सूचना मिली है, की बिक्री को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए उपाय निकालने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक कार्य दल गठित किया गया था।

और जबकि ऐसे रासायनिक थिनर का इस्तेमाल नेल पॉलिश रिमूवर जैसे कई अन्य प्रयोजनों के लिए विभिन्न अन्य खुदरा उत्पादों में भी किया जाता है।

और जबकि कार्य दल ने दिनांक 12-1-2012 एवं 20-1-2012 को आयोजित अपनी बैठकों में इस मुद्रे पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया तथा उनका सर्वसम्मत विचार यह था कि इस समस्या को नियंत्रित करने में प्रभावी हो सकने वाले उपायों में एक उपाय इन रसायनों की बोतलबंद रूप में खुदरा बिक्री पर रोक लगाना तथा कलम या ऐसी ही युक्ति के रूप में उनकी बिक्री की अनुमति देना हो सकता है।

अतः अब केन्द्र सरकार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित उपायों के कार्यान्वयन का आदेश देती है :—

- (i) स्याही मिटाने तथा नेल पॉलिश रिमूवर, दोनों प्रयोजनों से तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों से किसी तरह के रासायनिक संघटन के बोतलबंद करेक्षण फ्लूड तथा बोतलबंद थिनर की खुदरा बिक्री के लिए निर्माण पर रोक लगाना।
- (ii) स्याही मिटाने तथा नेल पॉलिश रिमूवर, दोनों प्रयोजनों से तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों से किसी तरह के रासायनिक संघटन के बोतलबंद करेक्षण फ्लूड तथा बोतलबंद थिनर की बिक्री पर रोक लगाना।
- (iii) कलमों या ऐसी युक्तियों जिनमें इस्तेमाल करते समय सीमित मात्रा में रासायनिक पदार्थ बाहर निकलते हैं; के रूप में स्याही मिटाने के प्रयोजनार्थ तथा नेल पॉलिश रिमूवर्स, दोनों के रूप में इस्तेमाल के लिए किसी तरह के रासायनिक संघटन के करेक्षण फ्लूड तथा थिनर की बिक्री की अनुमति देना।
- (iv) करेक्टिंग फ्लूड/थिनर की अनुप्रयोग युक्तियों (कलम या अन्यथा) पर उनमें निहित वाष्प के अन्तःश्वसन/रसायनों के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में अनिवार्य चेतावनी प्रदर्शित की जानी चाहिए।

आदेश दिया जाता है कि इन उपायों का संबंधित सरकारी विभागों/प्राधिकारियों, कानून एवं व्यवस्था संबंधी प्राधिकारियों, न्यायालय एवं उद्योग द्वारा तत्काल प्रभाव से अनुपालन एवं कार्यान्वयन किया जाए।

अरूप के. पाण्डा, संयुक्त सचिव